भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2805

गुरुवार, 19 **दिसम्बर, 2024/28 अग्रहायण**, **1946 (शक)**

निजी क्षेत्र की नौकरियों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. समुदायों का प्रतिनिधित्व

2805. श्री जावेद अली खान:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति (अ.जा.)**,** अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई आंकड़े हैं**;**

(ख) यदि हॉ**,** तो तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ग) यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**;**

(घ) क्या सरकार विनिर्माण**,** सूचना प्रौद्योगिकी**,** एफएमसीजी**,** रियल एस्टेट आदि जैसे निजी क्षेत्रों में अ.जा.**,** अ.ज.जा.**,** अ.पि.व. और सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराएगी**;** और

(ङ) यदि हॉ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 2017-18 से 2023-24 के मध्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित अन्य सभी आयु वर्ग के लिए रोजगार (निजी क्षेत्र सहित) को दर्शाने संबंधी कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि का रूझान है। विस्तृत जानकारी पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध है जिसे एमओएसपीआई की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

*****